IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जनपद हरदोई के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता का गुणात्मक अध्ययन

आका"ा वर्मा[1] और प्रोफेसर निधिबाला[2]

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, वी.एस.एस.डी. (पी.जी.) कालेज कानपुर
2. पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, f"ाक्षा"ास्त्र विभाग, लखनऊ वि"वविद्यालय, लखनऊ

सारां"ा

किसी भी राश्ट्र के निर्माण के लिए f"ाक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है तथा औपचारिक प्राथमिक f"ाक्षा भौक्षिक तंत्र की नींव होती है। भारत के 6 से 14 आयु वर्ग तक के अधिकां"ा बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित है। ऐसे में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों का गुणवत्ता होना अत्यंत आव"यक है। f"ाक्षण अधिगम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आधारभूत संरचना जैसे कक्षा–कक्ष, खेल का मैदान, पीने योग्य पानी, भौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सुरक्षा, भुद्ध भोजन, पुस्तकों की उपलब्धता, बैठने की व्यवस्था, विद्युत की उपलब्धता, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय आदि के साथ–साथ मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता जैस f"ाक्षकों की भौक्षिक योग्यता, f"ाक्षक–छात्र अनुपात, f"ाक्षकों का व्यवहार, रसोईया, f"ाक्षामित्र, सफाइ कर्मचारी, की वे"ा–भूशा, सहन"ीलता आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण f"ाक्षण अधिगम वातावरण हेतु उपरोक्त वर्णित आधारभूत संरचना तथा मानव संपदा की आव"यकता समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को है। प्रस्तुत भोध पत्र में भोधार्थी के द्वारा हरदोई जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का गुणवत्ता की दृश्टि से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य भाब्दः भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, उपलब्धता

किसी भी राश्ट्र के निर्माण के लिए ि"ाक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है तथा औपचारिक प्राथमिक ि"ाक्षा भौक्षिक तंत्र की नींव होती है। भारत के 6 से 14 आयु वर्ग तक के अधिकां"ा बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित है (यू डायस रिपोर्ट 2019)। ऐसे में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों का गुणवत्ता हाना अत्यंत आव"यक है। ि"ाक्षण अधिगम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आधारभूत संरचना जैसे कक्षा–कक्ष, खेल का मैदान, पीने योग्य पानी, भौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सुरक्षा, भाुद्ध भोजन, पुस्तकों की उपलब्धता, बैठने की व्यवस्था, विद्युत की उपलब्धता, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय आदि के साथ–साथ मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता जैस ि"ाक्षकों की भौक्षिक योग्यता, ि"ाक्षक–छात्र अनुपात, ि"ाक्षकों का व्यवहार, वे"ा–भूशा, सहन"ीलता आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता हेतु राश्ट्रीय ि"ाक्षा आयोग 1964–66 ने बताया था कि प्राथमिक विद्यालयों का इस प्रकार विस्तारित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न प्राथमिक ि"ाक्षा प्राप्त करने के लिए एक मील से कम और उच्च प्राथमिक ि"ाक्षा के लिए तीन मील से कम चलना पड़े (कोठारी कमी"ान 1964–66)। आपरे"ान ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आव"यक सुविधाएँ उपलब्ध करावाई जाए। जिसमें एक स्कूल भवन में दो बड़े कमरे एक बरामदा, लड़के और लड़कियों के अलग–अलग भौचालय, प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो ि"ाक्षक जिसमें से एक महिला ि"ाक्षक, ब्लैक बोर्ड, खिलौने, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पीने का पानी आदि का प्रावधान हो (राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 1986)। जहाँ पर विद्यालय न हो वहाँ पर विद्यालय बनवाएं जाएं। अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, भूकम्परोधी कक्ष, भौचालय, पेय जल की व्यवस्था, पाठ्य–पुस्तक साथ ही रखरखाव की व्यवस्था की जाए (एस.एस.ए. ,2001)। विद्यालय भवन ि"ाक्षक एवं ि"ाक्षण सामाग्री के साथ बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए (आर.टी.ई.,2009)। ि"ाक्षक–ि"ाक्षार्थी अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25:1 से कम हो। भारतीय और स्थानीय भाशाओं में ि"ाक्षा दी जाए। दीक्षा एप के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कराया जाए। ई.सी.सी.ई. के माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जाए, ड्राप आउट रेट कम किया जाए, रटने की प्रवृत्ति के वजाय समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाएगी। समस्त विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता सुनि"चत की जाएगी (राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति, 2020)।

आपरे"ान कायाकल्प के आधार पर उत्तर प्रदे"ा में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का स"ाक्त किया जा रहा है (आपरे"ान कायाकल्प, 2020)।

हरदोई जपनद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयो के गुणात्मक उन्नयन हेतु भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आव"यक है। हरदोई जनपद का क्षेत्रफल उत्तर प्रदे"ा में तीसरे स्थान पर है। हरदोई जपनद की जनसंख्या 40,92845 है, जिसमें 21,91442 पुरुशों की संख्या एवं 19,01403 स्त्रियों की संख्या है। भारत की साक्षरता दर 74 प्रति"ात है जिसमें पुरुश साक्षरता दर 82.1 प्रति"ात तथा महिला साक्षरता दर 65.9 प्रति"ात है। भारत का लिंगानुपात 940 है। अगर हम उत्तर प्रदे"ा के आंकड़े देखे तो यहां की कुल साक्षरता दर 67.6 प्रति"ात है जिसमें पुरुश साक्षरता दर 77.28 प्रति"ात तथा महिला साक्षरता दर 57.18 प्रति"ात और लिंगानुपात 912 है। जब हम हरदोई जनपद के आंकड़े देखते हैं तो यह और भी दयनीय है। हरदोई जनपद की कुल साक्षरता दर 64.57 प्रति"ात है, जो कि राश्ट्रीय साक्षरता दर से 9.43 प्रति"ात कम है। जनपद में पुरुश साक्षरता दर 74.39 प्रति"ात और महिला साक्षरता दर 53.19 प्रति"ात है वहीं लिंगानुपात 868 है, जो राश्ट्रीय लिंगानुपात से 44 कम है (जनगणना 2011)। यू डायस रिपोर्ट 2016–17 के अनुसार जिले में कुल प्राथमिक विद्यालय 5708 थे, जिसमें से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3896 थी। इन विद्यालयों में कुल नामांकन 4,52,088 थी, जिसमें बालाकों का नामांकन 2,26,064 तथा बालिकाओं का नामांकन 2,26,024 था। कुल उपलब्ध कक्षा–कक्ष 17,565 तथा ि"ाक्षक–ि"ाक्षार्थी अनुपात 33:1 था।

प्रस्तुत भाोधपत्र में भाोधकर्ता द्वारा वर्णनात्मक भाोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण भाोध विधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत भाोध में हरदोई जनपद के समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को जनसंख्या के सम्मिलित किया गया है। इस भाोध के अध्ययन हेतु हरदोई जनपद के 50 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को न्याद"ार्ा के रूप में लिया गया है। न्याद"ार्ा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए जनपद के 19 विकास खण्ड में से 5 विकास खण्डों को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड के 10 विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रेक्षण अनुसूची का उपयोग किया गया है। इस अनुसूची का उपयोग करके आंकड़ों को मानक के अनुसार हां या नहीं के रूप में एकत्रित किया गया है। मानक के अनुसार पद का उपयोग कुछ नि"चित मापदण्डों के अनुसार किया गया। ये मापदण्ड एन.सी.एफ. 2005,

आर.टी.ई. 2009 बेसिक ि"क्षा नियमावली 1982, राज्य सरकार नियम और नियमन, आपरे"न कायाकल्प 2020, विद्यालय विकास योजना पंजीकरण 2019 से लिए गए थे।

हरदोई जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधनों का आंकलन करने के लिए गुणात्मकता की दृश्टि से निम्नलिखित भौतिक और मानवीय संसाधन का प्रेक्षण अनुसूची के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया गया था।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक तथा मानवीय संसाधन से संबंधित प्रेक्षण अनुसूची–

संसाधन	संबंधित बिन्दु	मानक के अनुसार उपलब्धता	
		हाँ	नहीं
1. विद्यालय भवन	1.1 ि"क्षा हेतु कक्षा–कक्ष	41	09
	1.2 प्रधानाध्यापक कक्ष	43	07
	1.3 भूकम्प रोधी कक्ष	49	01
	1.4 भवन की रंगाई–पुताई	33	17
	1.5 कक्षा–कक्ष में पक्की फ"र्ा	39	11
	1.6 दिव्यांग हेतु रैम्प	47	03
	1.7 भयामपट्ट	50	00
	1.8 खिड़की–दरवाजे	50	00
2. खेल का मैदान	2.1 क्षेत्रफल(समतल मैदान)	41	09
	2.2 चहारदीवार	44	06
	2.3 चहारदीवार में गेट	41	09
	2.4 हरियाली/फुलवाड़ी	31	19
	2.5 रख–रखाव	30	20
3. फर्नीचर	3.1 ि"क्षकों के लिए	47	03

	3.2 विद्यालयों के लिए कुर्सी/मेज	18	32
	3.3 फर्नीचर का रख–रखाव	32	18
	3.4 टाट–पट्टी	49	01
	3.5 टाट–पट्टी का रख–रखाव	22	28
4. रसोईघर	4.1 उपलब्धता	50	00
	4.2 साफ–सफाई	42	08
	4.3 अग्नि"ामन यंत्र	42	08
	4.4 कार्यरत अग्नि"ामन यंत्र	12	38
	4.5 वेंटिले"ान	41	09
	4.6 गैस सिलेण्डर	38	12
5. भौचालय	5.1 उपलब्धता	50	00
	5.2 ि"ाक्षकों के लिए अलग भौचालय	05	45
	5.3 बालकों के लिए उपयोगी	12	38
	5.4 बालिकाओं के लिए उपयोगी	14	36
	5.5 भौचालय में पानी की उपलब्धता	11	39
	5.6 साफ–सफाई	03	47
6. पीने योग्य जल	6.1 उपलब्धता	50	00
	6.2 भुद्ध जल	35	15
	6.3 भीतल जल की व्यवस्था	01	49
	6.4 विकलांग	11	39

	विद्यार्थियों हेतु वि"ोश व्यवस्था		
	6.5 कीटना"ाक छिड़काव	07	43
7. वैद्युतीकरण	7.1 कनेक"ान उपलब्धता	32	18
	7.2 कक्षा–कक्ष में वायरिंग	27	23
	7.3 बल्ब, पंखा	24	26
	7.4 कंप्यूटर/इंटरनेट	02	48
8. पुस्तकालय	8.1 उपलब्धता	18	32
	8.2 पुस्तकालय में आलमारी	12	38
	8.3 पुस्तकालय में पुस्तक	15	35
	8.4 बच्चों हेतु उपयोग की स्थिति	09	41
9. स्वच्छता	9.1 रसोईघर की प्रतिदिन सफाई	42	08
	9.2 भौचालय की प्रतिदिन सफाई	03	47
	9.3 कक्षा–कक्ष एवं खेल मैदान की प्रतिदिन सफाई	47	03
	9.4 एम.डी.एम. ढकने की व्यवस्था	48	02
	9.5 भोजन से पहले बच्चों का हाथ धोना	42	08
	9.6 भोजन के प"चात	50	00

	बच्चों का हाथ धोना		
	9.7 भोजन के प"चात प्रांगण की सफाई	47	03
	9.8 बच्चों के दैनिक सफाई पर ध्यान	41	09
10. चिकित्सा सुविधा	10.1 प्राथमिक उपचार पेटिका	38	12
	10.2 स्वास्थ्य टीम द्वारा विद्यार्थियों की मासिक जांच	33	17
	10.3 दिव्यांग बच्चों हेतु वि"ोश चिकित्सा सुविधा	19	31
11. ि"क्षक एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता एवं योग्यता	11.1 ि"क्षक उपलब्धता	35	15
	11.2 ि"क्षक योग्यता	50	00
	11.3 ि"क्षा मित्र उपलब्धता	47	03
	11.4 ि"क्षा मित्र योग्यता	48	02
	11.5 रसोईया उपलब्धता	49	01
	11.6 प्रि"क्षित रसोईया	30	20
	11.7 सफाई कर्मचारी उपलब्धता	02	48
12. व्यवहार एवं ि"श्टाचार	12.1 ि"क्षक एवं विद्यार्थी संबंध	48	02
	12.2 ि"क्षक, प्रधानाध्यापक, ि"क्षा मित्र एवं रसोईया संबंध	40	10

	12.3 f”ाक्षक एवं अभिभावक संबंध	43	07
	12.4 f”ाक्षक की वे”ाभूशा	50	00
	12.5 f”ाक्षामित्र वे”ाभूशा	47	03
	12.6 रसोईया वे”ाभूशा	43	03
13. विद्यार्थी	13.1 यूनीफार्म प्राप्ति	50	00
	13.2 पाठ्य–पुस्तक	50	00
	13.3 खेल का सामान	33	17
	13.4 वजीफा	50	00
	13.5 मेनू के अनुसार एम.डी.एम.	37	13
	13.6 गुणवत्तापूर्ण एम. डी.एम.	34	16
	13.7 सुरक्षा	01	49
14. विद्यालय प्रबन्ध समिति	14.1 गठन	50	00
	14.2 नियमित बैठक	31	19
	14.3 विद्यालय कार्यो में सुझाव	12	38

प्राप्त आंकड़ों के प्रेक्षण और वि”लेशण के प”चात निम्नलिखित निश्कर्श प्राप्त किये गए हैं।

1. अधिकतर विद्यालयों में मानक के अनुसार f”ाक्षण हेतु कक्षा–कक्ष उपलब्ध थे। अधिकतर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष अलग से था, साथ ही भूकम्परोधी कक्षा–कक्ष भी थे। सभी कक्षा–कक्षों में भयामपट्ट भी उपलब्ध थे। अधिकतर विद्यालय भवन में नियमित सफाइ–रंगाई होती थी। अधिकतर विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प की व्यवस्था थी साथ ही कक्षा–कक्ष में पक्की फ”र्ा भी उपलब्ध थी। विद्यालय भवन में वातानुकूलन हेतु दरवाजे व खिड़कियां उपलब्ध थे।

2. अधिकतर विद्यालयों में मानक के अनुसार खेल का मैदान उपलब्ध था, साथ ही अधिकतर विद्यालयों में चहारदीवार भी थी साथ ही उसमें गेट भी लगा हुआ था। फुलवारी और हरियाली की कमी अधिकतर विद्यालयों में देखी गयी।
3. विद्यालयों में शिक्षकों के बैठने के लिए मानक के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध था। विद्यार्थियों के बैठने के लिए अधिकतर विद्यालयों टाट–पट्टी उपलब्ध थी किन्तु टाट–पट्टी की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती थी।
4. भात–प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर की उपलब्धता थी। साथ ही रसोईघर की साफ–सफाई भी नियमित होती थी। अग्निशमन यंत्र और वेंटिलेशन की व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में मानक के अनुसार थी।
5. सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध था। बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय तो उपलब्ध थे किन्तु कम ही विद्यालयों में ये सुचारू रूप से कार्यान्वित थे। साथ में शौचालय में पानी की व्यवस्था भी कम विद्यालयों में थी और शौचालय की साफ–सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती थी। शिक्षकों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था बहुत ही कम विद्यालयों में थी।
6. भात–प्रतिशत विद्यालयों में जल की उपलब्धता थी। अधिकतर विद्यालयों में शुद्ध जल भी उपलब्ध था। शीतल जल की व्यवस्था न के बराबर थी। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष व्यवस्था कम विद्यालयों में थी।
7. अधिकतर विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन था। अधिकतर कक्षा–कक्ष में विद्युत की वायरिंग भी थी। बल्ब और पंखों की संख्या मानक के अनुसार कम विद्यालयों में मिली। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था भी कम विद्यालयों में थी।
8. अधिकतर विद्यालयों में कक्षा–कक्ष एवं मैदान की सफाई नियमित होती थी। अधिकतर विद्यालयों में रसोईघर की सफाई नियमित होती थी। शौचालय की सफाई प्रतिदिन बहुत कम विद्यालयों में होती थी। मध्याह्न भोजन के पश्चात् विद्यालय की सफाई भी अधिकतर विद्यालयों में होती थी और मध्याह्न भोजन को ढ़कने की व्यवस्था भी अधिकतर विद्यालयों में थी।
9. अधिकतर विद्यालयों में मानक के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटिका उपलब्ध थी साथ ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच भी स्वास्थ्य टीम के द्वारा मासिक होती थी।
10. अधिकतर विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया था साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक भी नियमित रूप से करवाई जाती थी। अधिकतर

विद्यालयों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से पाठ्य–पुस्तकें, ड्रेस, वजीफा और मध्याह्न भोजन दिया जाता था। किन्तु विद्यालयों में विद्यार्थियों के सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे।

11. सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। मानक के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता भी अधिकतर विद्यालयों में थी। अधिकतर विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षामित्र उपलब्ध थे। प्रशिक्षित रसोईया कम विद्यालयों में थीं। साथ ही सफाई कर्मचारी किसी भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं थे।

12. अधिकतर विद्यालयों के शिक्षकों का व्यवहार अच्छा था। शिक्षक एवं शिक्षार्थी संबंध भी अच्छे थे। शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षामित्र के संबंध भी अच्छे पाये गए। अधिकतर शिक्षक अच्छी वेशभूशा में विद्यालय आते थे। शिक्षामित्र और रसोईयों का पहनावा भी सामान्य था।

संदर्भ–

- आपरेशन कायाकल्प (21 दिसम्बर 2021), दैनिक जागरण, कानपुर संस्करण, पृ० सं० 15
- 'आओ स्कूल चले हम' (सितम्बर 2007), कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली प्रकाशन विभाग।
- नीपा वार्शिक रिपोर्ट (2020), नीपा प्रकाशन वर्ग, नई दिल्ली।
- ओझा, एस.के. (2014), जनसंख्या एवं नगरीकरण, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
- प्रगति पथ पर ग्रामीण भारत (जून 2018), कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग।
- राश्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), एम०एच०आर०डी० प्रकाशन डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- राश्ट्रीय शिक्षा आयोग (1966), शिक्षा और राश्ट्रीय विकास एन.सी. ई.आर.टी.,प्रकाशन वर्ग, नई दिल्ली।
- सारस्वत, एम० एवं गौतम एस० (2017), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं उसकी चुनौतियाँ, आलोक प्रकाशन लखनऊ।

- सिंह, ए०के० (2010), मनोविज्ञान, समाज"ाास्त्र तथा ि"ाक्षा में भाोध विधियाँ, मोती लाल बनारसी दास प्रका"ान, नई दिल्ली।
- भार्मा, एम. एवं महरोत्रा, एम.(2015), ि"ाक्षा का अधिकार,प्रभात प्रका"ान, नई दिल्ली।
- ि"ाक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), एम० एच० आर० डी० प्रका"ान डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- त्रिपाठी, वी.एन. (2018), कानपुर नगर में बालिका ि"ाक्षा की स्थिति का अध्ययन, लघु भाोध प्रबन्ध, अप्रकाि"ात ि"ाक्षा विभाग, कानपुर वि"वविद्यालय, कानपुर।
- यू डायस रिपोर्ट (2017), प्रारम्भिक एवं माध्यमिक ि"ाक्षा विभाग, जनपद हरदोई।
- विद्यालय विकास योजना (2019), सर्व ि"ाक्षा अभियान, एस.सी.ई.आर.टी., लखनऊ।

https://censusindia.gov.in/census_and_you/literacy_and_level_of_education.aspx#:~:text=While%20the%20overall%20literacy%20rate,more%20in%20the%20rural%20areas

http://dise.in/Downloads/KothariCommissionVol.1pp.1-287.pdf

http://niepa.ac.in/New/Annual%20Reports.aspx

https://www.amarujala.com/amp/uttar-pradesh/baghpat/criteria-for- operation-kayakalp-should-be-fulfilled-in-schools-baghpat-news-mrt54990126

https://www.census2011.co.in/census/district/526-hardoi.html

https://indipedagogue.com/national-education-policy/

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf